महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः एम.जे.पी.रू.वि./कु.स.का./2026/412 दिनांकः 24.10.2026

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
   विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबंधक/सचिव
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषयः **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की फीस वापसी नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–7147/32–जी.एस./2026–XV दिनांक 24.10.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर (दिसंबर 2020, जुलाई 2021, अगस्त 2022, जुलाई 2023, फरवरी 2024 एवं जून 2024) उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश रद्द कराने अथवा माइग्रेशन करने वाले विद्यार्थियों की फीस वापसी हेतु स्पष्ट नीति एवं दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त पत्र के माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है कि राज्य के अनेक सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फीस वापसी संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यू.जी.सी. द्वारा बार–बार अनुस्मारक भेजने तथा शिकायतों को प्रेषित करने के उपरांत भी अनेक प्रकरणों में पूरी रकम अथवा आंशिक रकम बकाया रखी गई है, जो अत्यंत खेदजनक है।

विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा प्रवेश रद्द कराने के सम्बन्ध में यू.जी.सी. की फीस रिफंड नीति के अनुसार प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैः–

i. **पूर्ण वापसी (100% Refund) :–** प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन या उससे पूर्व प्रवेश रद्द करने/माइग्रेशन पर 100% फीस वापस की जाएगी।

ii. **कटौती सीमाः–** 31 अक्टूबर तक प्रवेश वापस लेने पर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम रू0 1000/– की ही कटौती की जा सकती है।

iii. **आंशिक वापसीः–**

- प्रवेश की घोषित अंतिक तिथि के 15 दिन से कम समय पूर्व प्रवेश रद्द करने पर 90% फीस वापसी।
- घोषित अंतिम तिथि के 15 दिन बाद तक 80% फीस वापसी।
- घोषित अंतिम तिथि के 15 से 30 दिन के भीतर 50% फीस वापसी।
- 30 दिन से अधिक प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद नाम वापस लेने पर कोई फीस वापसी देय नहीं होगी।

उपर्युक्त नियमों की अनदेखी से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता एवं छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यू.जी.सी. द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित फीस रिफंड पॉलिसी का अपने विभागों/महाविद्यालयों में अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर लंबित सभी फीस वापसी प्रकरणों/शिकायतों की तत्काल समीक्षा करते हुए पात्र विद्यार्थियों की बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस संबंध में की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसे राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जा सके।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कुलसचिव
20/10/16

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियत्रंक।
3. मीडिया प्रभारी।
4. उप–कुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा।
5. सहायक कुलसचिव।
6. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. प्रभारी, वेबसाइट।
8. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव